दूरभाष—0121—2664726
E-Mail cfmeerut@gmail.com

# कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ—250001)

पत्रांक 137 /14-1 दिनांक, मेरठ 10 , जुलाई, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः— जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इन्डियन ऑयल अदानी गैस प्रा0लि0 द्वारा ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को क्रास करते हुए भूमिगत स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.015 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— 1—उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, वन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/09/248/एफ0सी0/453, दिनांक 02.09.2022।
2—आपका पत्रांक 927/11सी—एफ0सी0/यू0पी0/अदर्स/118929/2021, दिनांक 09.09.2022।
3—प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर का पत्रांक 72/14—1, दिनांक 06.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, वन मंत्रालय, लखनऊ के संदर्भित द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निस्तारण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर ने अपने संदर्भित से निम्न प्रकार किया हैः—

| क्र0सं0 | आपत्ति | निस्तारण |
|---|---|---|
| 1 | उक्त विषयांकित प्रकरण करण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जैसा की आप द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र RoW में आता है एवं किसी भी संरक्षित क्षेत्र का भाग नही है। FCA Guidelines के Clause संख्या 4.2 के अनुसार प्रस्ताव अर्हता रखता है तो राज्य सरकार अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें | प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर द्वारा अगवत कराया गया है कि ग्राम अनीवास एवं मखैना में अनूपशहर ब्रांच नहर की संरक्षित वन भूमि को क्रास करते हुए गैस पाईप लाईन डाली जानी है। उक्त संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व सिंचाई विभाग का है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। |

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 137 / , दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

Recd
M.Kalim
7500849632

**कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।**
**पत्रांक– 72 /14-1, बुलन्दशहर, दिनांक, 06, जुलाई, 2023।**

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ
रजिस्टर नं॰ 111
फाईल नं॰ 14-1(A)
दिनांक 10/07/23

विषयः– जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इन्डियन ऑयल अदानी गैस प्रा0लि0 द्वारा ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को क्रास करते हुए भूमिगत स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.015 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन, वन मंत्रालय, लखनऊ की पत्र सं0 8बी0/यू0पी0/09/248/2022/एफ0सी0/453 दिनांक 02.09.2022, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ की पत्र सं0 927/11सी–एफपी/यूपी/ अदर्स/118929/2021 दिनांक 09.09.2022 एवं आपका पत्र सं0 1607/14–1 दिनांक 12.10.2022

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में जॉच करायी गयी जॉच में पाया गया कि ग्राम अनीवास एवं मखैना में अनूपशहर ब्रांच नहर को क्रास करते हुए गैस पाईप लाईन डाली जानी है। इस सम्बन्ध में प्रबन्धक इन्डियन ऑयल अदानी गैस प्रा0लि0 अलीगढ ने अपने पत्र दिनांक 04.07.2023 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम अनीवास एवं मखैना में अनूपशहर ब्रांच नहर को क्रास करते हुए भूमिगत गैस पाईप लाईन डाली जानी है। जिस भूमि गैस पाईप लाईन डाली जानी है, वह सिंचाई विभाग की भूमि है। सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है। अवगत कराना है कि अनूपशहर ब्रांच नहर की भूमि सिंचाई विभाग की भूमि है, जो संरक्षित वन भूमि है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृति जारी कराने हेतु कार्यवाही कराने की कृपा करें। सिंचाई विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

07/07/23
DM(A)
कार्यवाही

भवदीया,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

**संख्याः / दिनांकित।**

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

IOAG

IndianOil Adani Gas Pvt. Ltd.

सेवा में,

दिनांक: 04/07/2023

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर

विषय: जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इण्डियन आयल अडानी गैस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जनपद बुलन्दशहर ग्राम अजीवास एवं मरवैना में पड़ने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को क्रास करते हुए भूमिगत स्टील गैस पाइपलाइन बिछाये हेतु 0.015 है० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में

सन्दर्भ: आपका पत्र संख्या 3679/14-1 दिनांक 31.03.2023

महोदय,

उपरोक्त पत्र के क्रम में अवगत करना है कि अनूपशहर ब्रान्च नहर अजिवास को क्रास करते हुए भूमिगत गैस पाइप लाइन डाली जानी है। जिस भूमि में गैस पाइपलाइन डाली जानी है, वह सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक: सिंचाई विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र।

भवदीय,

प्रबन्धक,
इण्डियन आयल अडानी गैस प्रा०
ASSOCIATE MANAGER

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

दिनांक– 20/04/2022

पत्रांक– 628 / अशाख / अनुमति

विषय– इण्डियन ऑयल–अडानी गैस प्रा0 लि0 द्वारा अनूपशहर शाखा के कि0मी0 124.620 एवं खनौदा राजवाहे के कि0मी0 11.450 के अनिवास गाँव पर गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति के सम्बन्ध मे।

**अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।**

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध मे इडियन ऑयल–अडानी प्रा0 लि0 ने अपने पत्रांक सं0 IOAGPL/ALGH/IRR/51 / दिनाक–07.01.2022 द्वारा अनूपशहर शाखा के कि0मी0 124.620 एवं खनौदा राजवाहे के कि0मी0 11.450 के अनिवास गाँव पर गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति चाही गई है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता गंगा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ के पत्रांक नि0–2772 / दिनांक 30.11.2016 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र खण्डीय कार्यालय से निर्गत न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (छाया प्रति सलग्न) एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक सं0–1687 / 19–27–सि0–4–50(डब्ल्यू) / 19 / दिनाक–22.05.2019(छाया प्रति सलग्न)द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित की जा रही योजनाओ के मध्य सिंचाई विभाग की भूमि / परियोजना स्थित होने पर विभागीय भूमि / परिसम्पत्तियों पर कार्य कराये जाने की अनुमति / अनापत्ति निर्गत करने तथा जलापूर्ति किये जाने के सबध में प्राप्त आवेदनो पर संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सदर्भित की जा रही है। उक्त के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग,उ0प्र0 सक्षम है।

उपरोक्त के कम में अनूपशहर शाखा के कि0मी0 124.620 एवं खनौदा राजवाहे के कि0मी0 11.450 के अनिवास गॉव पर गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ एतदद्वारा निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण संस्तुति सहित प्रेषित है।

1. पाईप लाईन डालने का कार्य कार्यदायी–संस्था को अपने खर्च पर कराना होगा एवं भविष्य में रख रखाव करने का दायित्व भी कार्यदायी– संस्था का ही होगा।
2. पाईप लाईन डालने का कार्य विभागीय अधिकारियों की देख रेख मे ही कराया जायेगा।
3. पाईप लाईन डालने के उपरान्त स्वामित्व सिंचाई विभाग का होगा।
4. कार्य समाप्ति के उपरान्त कार्य स्थल से निर्माण सामग्री सहित क्लीयर करनी होगी।
5. पाईप लाईन डालने के उपरान्त नहर / राजवाहा के आन्तरिक अनुभाग में कोई भी सामग्री शेष न रहे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसी समस्त सामग्री हटा ली जायें।
6. कार्य सम्पादन के समय नहर के आन्तरिक अनुभाग पटरी एंव खडे वृक्षो को कोई क्षति न हो।
7. मिटटी की आवश्यकता पडने पर मिटटी पटरी से न खोदी जाये। मिटटी किसी अन्यत्र स्थान से लायी जाये।
8. पाईप लाईन डालने के कारण / दौरान नहर / राजवाहा संचालन मे किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही होनी चाहिए।
9. पाईप लाईन डालने के समय भूमिगत विद्युत लाईन, पेयजल आपूर्तिलाईन गैस लाईन अथवा किसी अन्य कम्पनी ओ0एफ0सी0 केबिल व सीवरेज को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी–संस्था होगी।
10. भविष्य मे यदि पाईप लाईन फटने से किसी भी प्रकार की घटना व नहर / राजवाहा के आन्तरिक अनुभाग में किसी भी प्रकार की क्षति (जान–माल व किसी भी प्रकार की धनहानि ) घटित होती है,तो इन सभी प्रकार की घटनाओ की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
11. पाईप लाईन डालने के उपरान्त सडक से नहर / राजवाहा की पटरीयों पर पहुँच सुगम होनी चाहिए।
12. कार्य कराते समय सिंचाई विभाग की तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन का विशेष ध्यान रखा जाये।
13. कार्य कराने से पूर्व खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर के साथ सयुक्त रुप से निरीक्षण कर स्थान नियत कर लिया जाये। कार्य कराते समय निर्माण कार्यो में अति लापरवाही से किसी जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की होगी।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी एक शर्त की अनुपालना न होने की दशा मे अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

पत्रांक– 1028 / अशाख / अनुमति दिनाक– 20/04/2022

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

[illegible] 20/04/2022

अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

20/04/2022

IOAG

**IndianOil Adani Gas Pvt. Ltd.**

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर

दिनांक: 04/07/202[illegible]

विषय:- जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इण्डियन आयल अदानी गैस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जनपद बुलन्दशहर ग्राम अनीवास रवं मखैना में पड़ने वाले अनूपशहर ब्रान्च नहर को क्रास करते हुए भूमिगत स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु 0.015 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या 3679/14-1 दिनांक 31 03 2023

महोदय,

उपरोक्त पत्र के क्रम में अवगत करना है कि अनूपशहर ब्रान्च नहर मखैना को क्रास करते हुए भूमिगत गैस पाइप लाइन डाली जानी है। जिस भूमि में गैस पाइप लाइन डाली जानी है, वह सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न:- सिंचाई विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र।

[illegible handwritten note and signature]

भवदीय

[signature]

प्रबन्धक, इण्डियन आयल अदानी गैस प्रा० लि०

2nd Floor, Nighat Plaza, Samad Road, Centre Point, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh), Phone: [illegible] 1-2960799
**Corporate Office :** 1st Floor, Tower-B, Winds[illegible] IT Park, A-1, Sector-125, Noida-201303 (Uttar Pradesh)
**E-mail:** info@ioagpl.com | **Website:** www.ioagpl.com | **CIN:** U40300DL2013PTC2[illegible]

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
## अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ

पत्रांकः 1488/अखगंनअ/अनुमति/ दिनांक 11.4.22

विषयः Permission for crossing of upper Ganga canal at Makhena village near Anupshahr Division through Horizontal directional drilling method(HDD)

**श्री रूपेश कुमार झा, ~~सिविल~~ इंजीनियर इण्डियन ऑयल, अडानी गैस प्रा0लि0, अलीगढ.**

उपरोक्त विषयक के संबध मे सूचनीय है कि श्री रूपेश कुमार झा, सिविल इंजीनियर इण्डियन ऑयल, अडानी गैस प्रा0लि0, अलीगढ के द्वारा Permission for crossing of upper Ganga canal at Makhena village near Anupshahr Division through Horizontal directional drilling method(HDD) मांगी गई है।

सहायक अभियन्ता के पत्रांक 112/स0अ0–4/दिनांक 11.04.2022 A per visit investigation and their approach towards work उक्त कार्य को विभागीय मानकों के अनुरूप कराने की सशर्त संस्तुति की गई है।

1. नहर के कास सैक्शन में कोई डैमेज न हो एवं नहर के पानी के फ्लो मे कोई रूकावट न हो।
2. नहर की भूमि में कोई अतिक्रमण न हो।

कार्य की महत्वता को देखते हुए जनहित में अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है।

1. उक्त कार्य कराते समय नहर/राजवाहा को कोई क्षति न पहुँचे।
2. कार्य कराने के उपरान्त उक्त भूमि पर सिंचाई विभाग का ही स्वामित्व रहेगा।
3. उक्त कार्य विभागीय जूनियर इंजीनियर की देख रेख में किया जायेगा।
4. कार्य अनुमोदित ड्राइग डिजाइन के अनुसार कराना है।
5. कार्य कराने से पानी के बहाव में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ

पत्रांकः /अखंगंनअ/अनुमति/दिनांकः

**प्रतिलिपिः1– सहायक अभियन्ता, चतुर्थ अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ के पत्रांक 112/स0अ0–4/दिनांक 11.04.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।**

अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ